बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / स्था0–02–विविध–86 / 2023............................... / पटना, दिनांक–

अधिसूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नम्बर–............. / 2026 (Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश वाद में दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–14 दिनांक–27.02.2026 के द्वारा विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 04 (चार) निम्नांकित अभ्यर्थियों को भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन स्तर–9 (₹53,100–₹1,67,800 / –) में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन–यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	पिता का नाम एवं स्थायी पता	संयुक्त मेधा क्रमांक / रौल नं0	मूल कोटि / चयनित कोटि	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	
1	मो0 हारिश / अम्बेदकर नगर (उ0प्र0)	मेराज अहमद, ग्राम+पो0–हंसवर, तहसील– टांडा, जिला–अम्बेडकर नगर, पिन–224143 (उ0प्र0)	12 / 105550	सामान्य / सामान्य	16.08.1993	प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, जहानाबाद	
2	श्री धर्मवीर कुमार / पटना	श्री सत्येन्द्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम–चतुर्भुजपुर, पो0–सरहन, थाना–पंडारक, जिला–पटना –803214 (बिहार)	32 / 103987	अ0पि0व0 / अ0पि0व0	02.11.1993	प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, सासाराम	
3	श्री आदित्य राज / मुजफ्फरपुर	श्री अरूण कुमार, श्रीचन लेन, साहू रोड, दीपक सिनेमा, छोटी कल्याणी, मुसहरी, मुजफ्फरपुर–842002 (बिहार)	40 / 106035	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.04.1994	सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना	
4	सुश्री श्वेता कुमारी / पटना	श्री छोटेलाल प्रसाद, शंकर कॉलोनी, रोड नं0–03, आशियाना नगर, पटना–800025 (बिहार)	148 / 107362	पि0व0 / सामान्य	08.06.1997	प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, नवादा	

1. नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ वास्तविक कार्यभार / प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
2. यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है, जिसके लिये उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
3. पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
4. मूल प्रमाण–पत्र जाँच के क्रम में अवैध / गलत पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
5. भवन निर्माण विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय से योगदान / पदग्रहण करने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

कृ0पृ0उ0...............

6. नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर भवन निर्माण विभाग में योगदान देना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नही करने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

7. जिन सहायक अभियंताओं के द्वारा दहेज नहीं लेने–देने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया गया है, उन्हें योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

8. नवनियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्त्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9. आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर विसंगति पाये जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है, तथा माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(ललित कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023....................... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023....................... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023....6121 (अ).... पटना, दिनांक– 6/7/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निगरानी विभाग/लोकायुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/विद्युत)/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग, भवन निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/सभी संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.07.26
सरकार के उप सचिव।